



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032024-252840
CG-DL-E-11032024-252840

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1139]
No. 1139]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

का.आ. 1201(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में तेलंगाणा के लिए राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- डॉ. गौरवाराम सविता
प्लॉट नं. 45, बंजारा ग्रीन कालोनी, रोड नं. 12,
बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034, तेलंगाणा
अध्यक्ष;
- श्री स्वर्गम श्रीनिवास, आईएफएस (सेवानिवृत्त),
भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्लॉट नं. 152/153, साई बाबा आफिसर्स कालोनी,
सैनिकपुरी सिकंदराबाद - 500094, तेलंगाणा।
सदस्य;

3. विशेष सचिव, पर्यावरण, सदस्य-सचिव।
वन और प्रौद्योगिकी विभाग,
तेलंगाणा सरकार
2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
3. प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हैं।
4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय तेलंगाणा राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा।
5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए तेलंगाणा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-
- (i) डॉ. एम. राम गोपाल रेड्डी, -अध्यक्ष;
फ्लैट नं. 304, ई44, वैष्णवी सिरी संपदा अपार्टमेंट्स,
मधुरानगर, हैदराबाद, तेलंगाणा-500038.
- (ii) डॉ दिनेश कुमार भरतराज, सदस्य;
प्लैट नं. 66, एच. नं. 17-8/ए, बेरप्पागड्डा,
धरमपुरी कालोनी, उप्पल – 500039.
- (iii) डॉ. ए. बेंकट राजशेखर, सदस्य;
एच. नं. 2-2-1136/10/4, फ्लैट नं. 201,
श्रीनीलायम अपार्टमेंट, नल्लाकुंता,
हैदराबाद -500044, तेलंगाणा राज्य
- (iv) डॉ. सोलिपुरम् बेंकट रेड्डी सदस्य;
प्लैट नं. 9, फेस-2, वसंत वैली, वाइटफील्ड्स
कोंडापुर, सरलिंगमपल्ली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट-500084
- (v) डॉ सरिता सज्जा सदस्य;
1-10-29/188/738, श्री नीलायम, कापरा,
सिकंदराबाद -500062.
- (vi) डॉ. शेक बाशा सदस्य;
मुख्य वैज्ञानिक और अध्यक्ष सीएसआईआर-एनईआईआरआई, हैदराबाद जोनल सेंटर
आईआईसीटी कैंपस, हैदराबाद, 500007

- (vii) डॉ. के. मृत्युंजय रेड्डी
एच. नं. 7-66/2/235, प्रशांकी हिल्स,
सेरिलिंगमपल्लि, म्यूनिसिपैलिटी,
हैदराबाद – 500104. सदस्य;
- (viii) डॉ. सिरीश सारिदे
बी-301, सिविल इंजीनियरिंग विभाग,
आईआईटी हैदराबाद । सदस्य;
- (ix) डॉ. के. एल. राधिका
सिविल इंजीनियरिंग विभाग, यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग (ए) ओस्मानिया
यूनिवर्सिटी,
हैदराबाद तेलंगाना राज्य 500007 सदस्य;
- (x) डॉ. ए. सबिता रानी
प्रो. ए. सबिता रानी, अध्यक्ष, बोर्ड आफ स्टडीज इन बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ
बॉटनी, यूसीएस, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500007, तेलंगाना राज्य सदस्य;
- (xi) डॉ. के.एल.एन. रेड्डी,
वेसेल्ला विलाज, #9, नीयर चिराक पब्लिक स्कूल,
श्रीराम नगर, कोंडापुर, हैदराबाद- 500084, तेलंगाना सदस्य;
- (xii) प्रो. गाडे दयाकर
एच. नं. 2-6-24, बिसाइड आर एंड बी गेस्ट हाउस,
हनमकोंडा मंडल, हनमकोंडा डिस्ट्रिक्ट । सदस्य;
- (xiii) डॉ. पोलिसेट्टी वेंकटेश्वर राव
प्रोफेसर, जल और पर्यावरण डिविजन,
सिविल इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटी वारंगल,
तेलंगाना-506004 सदस्य;
- (xiv) प्रो. भुक्का राजम
प्रोफेसर, कैमिकल इंजीनियरिंग विभाग, यूनिवर्सिटी कालेज आफ टेक्नालाजी, ओस्मानिया
यूनिवर्सिटी, हैदराबाद-500007,
तेलंगाना । सदस्य;
- (xv) संयुक्त मुख्य पर्यावरण इंजीनियर, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य सचिव।

6. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(i) प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोग नहीं लेंगे, जिनका उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण और समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया; तथा

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में समिति की बैठक से बचेंगे।

8. समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. (i) तेलंगाणा राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी

(ii) सचिवालय, वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।

11. प्राधिकरण तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता तेलंगाणा राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. आईए3-13/2/2022-आई.ए. III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

S.O. 1201(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority for Telangana (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following persons, namely: -

(i) Dr. Gowravaram Sabitha Chairman;

Plot No. 45, Banjara Green Colony, Road NO. 12, Banjara Hills, Hyderabad
500034, Telangana

(ii) Sri. Swargam Srinivas, IFS (Retd.) Member;

Ex. Principal Chief Conservator of Forest,
Plot No. 152/153, Sai baba officers Colony,
Sainikpuri Secunderabad – 500094, Telangana.

- (iii) Special Secretary, Environment, Member -Secretary.
Forests, Science and Technology Department,
Government of Telangana.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Telangana.

5. The Central Government, in consultation with the State Government of Telangana, for the purposes of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following persons, namely: -

- (i) Dr. M. Ram Gopal Reddy Chairman;
Flat No. 304, E44, Vaishnavi Siri sampadaapts,
Madhuranagar, Hyderabad, Telangana-500038.
- (ii) Dr. Dinesh Kumar Bharatraj Member;
Plot No. 66, H. No. 17-8/A, Berappagadda, Darampuri
Colony, Uppal – 500039.
- (iii) Dr. A. Venkata Rajashekhar Member;
H.No.- 2-2-1136/10/4, Flat. No. 201, Srinilayam
Appartment, Nallakunta, Hyderabad – 500044, Telangana State
- (iv) Dr. Solipuram Venkat Reddy Member;
Plot No 9, Phase-II, Vasanta Valley, whitefields
Kondapur, Serlingampally, R.R District-500084
- (v) Dr. Sarita Sajja Member;
1-10-29/188/738, Sri Nilayam, Kapra,
Secunderabad – 500062.
- (vi) Dr. Shaik Basha Member;
Chief Scientist and Head
CSIR-NEERI, Hyderabad Zonal Centre IICT
Campus, Hyderabad,500 007
- (vii) Dr. K Mruthyunjaya Reddy Member;
H.No.7-66/2/235, Prashanth Hills, Raidurg Village,
Serilingampally, Municipality, Hyderabad –500 104.
- (viii) Dr. Sireesh Saride Member;
B-301,Department of Civil Engineering, IIT Hyderabad.
- (ix) Dr. K.L. Radhika Member;
Department of Civil Engineering University College of
Engineering (A) Osmania University, Hyderabad Telangana State
500 007
- (x) Dr. A. Sabitha Rani Member;
Professor A. Sabitha Rani, Chairperson, Board of Studies in
Botany, Dept. of Botany, UCS, Osmania University, Hyderabad –
500007, TS
- (xi) Dr.K.L.N. Reddy. Member;
Vessella Villas,#9, Near Chirac Public School, Sriram Nagar,

Kondapur, Hyderabad – 500084,
Telangana.

- (xii) Prof. Gade Dayakar Member;
H.No.2-6-24, Beside R & B Guest House,
Hanamkonda Mandal, Hanamkonda District.
- (xiii) Dr. Polisetty Venkateswara Rao Member;
Professor, Water and Environment Division,
Department of Civil Engineering, NIT Warngal,
Telangana-506 004
- (xiv) Prof. Bhukya Rajam Member;
Professor, Department of Chemical Engineering, University
College of Technology, Osmania University, Hyderabad – 500007,
Telangana.
- (xv) Joint Chief Environmental Engineer, Telangana State Pollution Member- Secretary.
Control Board
6. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
7. In order to avoid any conflict of interest,-
- (i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall-
- (a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
- (b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and
- (ii) In the preceding five years, if the Chairman or any Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, they shall recuse themselves from the meetings of the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.
8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus, the views of the majority shall prevail.
10. (i) The State Government of Telangana shall specify an agency to act as secretariat of the Authority, and the Committee.
- (ii) The secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.
11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules, of the State Government of Telangana.

[F. No. IA3-13/2/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.